



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-28032023-244733  
CG-HR-E-28032023-244733

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]  
No. 187]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2023/चैत्र 7, 1945  
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2023/CHAITRA 7, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

सा.का.नि. 229(अ).—पोहा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 का प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं.सा.का.नि. 825(अ) के तहत दिनांक 18 नवम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध कराए जाने के पैंतालीस दिनों के भीतर आपेक्ष आमंत्रित किए गए थे।

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को 18 नवम्बर, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं, और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम पोहा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. अनुप्रयोग-** ये नियम धान (ओरयज़ा सैटिवा एल.) से तैयार किए गए पोहा पर लागू होंगे। इसे चिड़वा के नाम से भी जाना जाता है।

**3. परिभाषाएं :-** (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) “अधिनियम” से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) “कृषि विपणन सलाहकार” से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ग) “प्राधिकृत पैकर” से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों एवं साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार पोहा का श्रेणीकरण करने और उसे चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो;

(घ) “प्राधिकार प्रमाण पत्र” से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा पोहा के श्रेणीकरण और चिह्नांकन का प्राधिकार देता है;

(ङ) “साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम” से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;

(च) “श्रेणी अभिधान चिह्न” से नियम 3 में निर्दिष्ट “एगमार्क प्रतीक चिह्न” अभिप्रेत है;

(छ) “विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम” से विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 अभिप्रेत है एवं ;

(ज) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम या नियम में हैं;

**4. श्रेणी अभिधान चिह्न :-** श्रेणी अभिधान चिह्न में “एगमार्क प्रतीक चिह्न” का डिज़ाइन होगा जो अनुसूची-I में निर्धारित डिज़ाइन के सदृश्य होगा जिसमें प्राधिकार प्रमाण-पत्र संख्यांक, शब्द ‘एगमार्क’, वस्तु का नाम और श्रेणी शामिल होंगे।

**5. श्रेणी अभिधान :-** पोहा की गुणवत्ता उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जैसा कि अनुसूची-II के श्रेणी अभिधान हेतु मापदंड में वर्णित किया गया है।

**6. गुणवत्ता:-** इन नियमों के प्रयोजन के लिए पोहा की गुणवत्ता अनुसूची-II में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।

**7. पैकिंग करने की विधि :-** (1) पोहा को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 और विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार उचित पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।

(2) समान लॉट या बैच और ग्रेड के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री की पैकिंग एक मास्टर

कंटेनर में की जाएगी और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न सहित पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा;

(3) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार का और समान श्रेणी अभिधान का पोहा होगा;

(4) प्रत्येक पैकेज उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा, ताकि उसकी सामग्री बाहर न फैल सके;

**8. चिह्नांकन की विधि: -** (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अनुमोदित रीति से सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जाएगा;

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त, प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट और अमिट रूप से अंकित किया जाएगा:-

- (क) वस्तु का नाम;
- (ख) श्रेणी;
- (ग) किस्म या ट्रेड का नाम (वैकल्पिक);
- (घ) लॉट अथवा बैच संख्या;
- (ङ) पैकिंग की तारीख;
- (च) फसल वर्ष (वैकल्पिक)
- (छ) शुद्ध भार;
- (ज) प्राधिकृत पैकर का नाम और पता;
- (झ) अधिकतम खुदरा मूल्य; (सभी कर सहित)
- (ञ) ....माह....वर्ष के पूर्व उपयोग हेतु सर्वोत्तम;

(ट) विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 या खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के तहत निर्दिष्ट अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून के तहत जारी अधिसूचना अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किन्हीं अनुदेशों के तहत निर्दिष्ट कोई अन्य विवरण, बशर्ते कि पैकेजों पर अंकन के लिए सही गुणवत्ता की स्याही का उपयोग किया गया हो।

(3) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अंतर्गत श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित कर सकता है, परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित गुणवत्ता से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित नहीं करेगा।

#### 9. प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें:- (1) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के

नियम 3 के उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर इस नियम में निर्दिष्ट सभी शर्तों का पालन करेगा।

(2) पोहा की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पैकर साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 8 के तहत जारी मापदंडों के अनुसार या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी अथवा एसोसिएशन प्रयोगशाला या ऐसी प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के साथ संपर्क करेगा जिसका प्रबंधन साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा किया जा रहा हो।

(3) प्राधिकृत पैकर के परिसर को समुचित संवातन और प्रकाश सहित स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशा में रखा जाएगा। इन कार्यों में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे।

(4) प्राधिकृत पैकर के परिसर में पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वह नमी, किसी तरह की दरारों, कृतकों और कीटों से मुक्त होगा।

(5) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलिंग और अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेंगे जो समय-समय पर साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए हो।

**अनुसूची-I****(नियम 4 देखें)**

(एगमार्क प्रतीक का डिजाइन)



वस्तु का नाम.....

श्रेणी.....

**अनुसूची -II****(नियम 5 और 6 देखें)**

पोहा का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता:

1. धान (ओरयज़ा सैटिवा एल.) को हल्का उबालकर या गर्म पानी में भिगोने के बाद सुखाकर, भूनकर, रोलरों से चपटा करके फ्लेक बनाकर, भूसी निकालकर तथा छलनी से सभी बारीक पाउडर को हटा कर पोहा तैयार किया जाता है।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

(i) पोहा में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी-

(क) रुचिकर स्वाद, गंध तथा उस किस्म के एकसमान रंग की विशेषता होगी जिससे उसे प्राप्त किया गया है;

(ख) दाग रहित होगा तथा उत्तम धान से तैयार किया जाएगा;

(ग) बाहरी पदार्थों जैसे कि पत्थर, धूल, मिट्टी, धान, धान की भूसी, कृतक अवशेष और अवशिष्ट, गंदगी, भुकड़ी, फंफूद, जीवित या मृत कीट, कीट अंश आदि से मुक्त होगा;

(घ) किसी विजातीय स्वाद, गंध, अप्रीतिकर गंध, खमीरीकरण से मुक्त होगा; और

(ङ) कृत्रिम रंग, पॉलिश पदार्थ, कृत्रिम सुवास और अन्य किसी रसायन से मुक्त होगा।

(ii) घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषक, कीटनाशक अवशेष, सूक्ष्मजीव अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं अथवा घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अधीन अधिसूचित किसी भी अन्य विनियम का अनुपालन करेगा।

(iii) निर्यात के मामले में यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा निर्धारित भारी धातुओं और कीटनाशकों की अवशिष्ट सीमाओं तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों अथवा आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

**3.पोहा के श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड.-****तालिका**

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की सीमा (वजन के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)						कुल प्रोटीन (भार के अनुसार ) (ओडीबी) (न्यूनतम)
	नमी	कुल भस्म (ओडीबी)	तनु HCl में अघुलनशील भस्म (ओडीबी)	अपरिष्कृत रेशे (ओडीबी)	ऐल्कोहलिक अम्लता (90% ऐल्कोहल सहित) जिसे H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> के रूप में व्यक्त किया गया है	2 एमएम आईएस छलनी के जरिए छलनी परीक्षण (छलनी से निकले पदार्थ का %)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
विशेष	11.0	1.25	0.15	0.5	0.15	0.50	8.0
मानक	12.0	1.50	0.25	1.5	0.25	1.50	7.0
सामान्य	13.0	2.00	0.40	2.0	0.30	2.50	6.0

**नोट:** ओडीबी: शुष्क भार आधार, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

**4. अन्य अपेक्षाएँ.-**

(i) पोहा की स्थिति ऐसी होगी कि वह -

(क) यातायात और हैंडलिंग की स्थिति का सामना कर सके; और

(ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके।

(ii) पोहा का भंडारण ठंडे एवं शुष्क स्थान पर किया जाएगा तथा साफ और स्वास्थ्यपरक दशा में रखा जाएगा।

(iii) पोहा को उसकी मोटाई तथा 30 डिग्री सेल्सियस पानी में पुनर्गठित होने में लगने वाले समय के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 30 डिग्री सेल्सियस पानी में पुनर्गठन के लिए पोहा और पानी का अनुपात 1: 4 रखा जाएगा बशर्ते इस तरह पुनर्गठित पोहा चिपचिपा नहीं होगा और आकार में पृथक-पृथक रहेगा।

**तालिका**

श्रेणी	पोहा की मोटाई (एमएम) (अधिकतम)	30 डिग्री सेल्सियस पानी में पुनर्गठित होने में लगने वाला समय (मिनट)
बारीक	0.5	5
मध्यम	0.7	10
मोटा	1.0	20

इस श्रेणी को पैकेजों पर अंकित किया जा सकता है।

[फा. सं. क्यू-11047/08/पोहा/2020- मानक]

डॉ. एन. विजया लक्ष्मी, संयुक्त सचिव (विपणन)

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE****(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2023

**G.S.R. 229(E).**—Whereas, the draft of the Poha Grading and Marking Rules, 2023, was published under sub-section (1) of section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (i), *vide* number G.S.R.825 (E), dated the 18<sup>th</sup> November, 2022, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on 18<sup>th</sup> November, 2022, and whereas, the objections and suggestions received from the stakeholders in respect of the said draft rules have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Poha Grading and Marking Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

**2. Application.**- They shall apply to Poha prepared from paddy (*Oryza sativa* L.), also known as flattened rice, rice flakes, beaten rice or chiwda.

**3. Definitions.** -(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(b) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(c) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark poha in accordance with the grade standards and procedure provided under these rules and the General Grading and Marking Rules, 1988;

(d) "certificate of authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988, authorising a person or a body of persons to grade and mark poha with the grade designation mark;

(e) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988;

(f) "Grade Designation Mark" means "AGMARK Insignia" referred to in rule 3;

(g) "Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules" means the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011; and

(h) "schedule" means a schedule appended to these rules.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 or the General Grading and Marking Rules, 1988, shall have the meanings respectively assigned to them in the said act and the rules.

**4. Grade Designation Mark.** - The Grade Designation Mark shall consist of the design of "AGMARK Insignia", as set out in Schedule-I and incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", the name of commodity and its grade.

**5. Grade designations.** - The grade designations to indicate the quality of poha including the criteria for grade designation shall be as set out in Schedule-II.

**6. Quality.** -For the purpose of these rules, the quality of poha shall be as provided in Schedule-II.

**7. Method of packing.** - (1) The poha shall be packed in suitable packaging material in accordance with the provisions of the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2020 and Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011.

- (2) The graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with the Grade Designation Mark.
- (3) Each package shall contain poha of the same type and of the same grade designation.
- (4) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to disallow spilling.
- 8. Method of marking.-** (1) The Grade Designation Mark shall be securely affixed to or printed on each package in the manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.
- (2) In addition to the Grade Designation Mark, the following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely:-
- (a) name of the commodity;
  - (b) grade;
  - (c) variety or trade name (optional);
  - (d) lot or batch number;
  - (e) date of packing;
  - (f) crop year (optional);
  - (g) net weight;
  - (h) name and address of the authorised packer;
  - (i) maximum retail price (inclusive of all taxes);
  - (j) BEST BEFORE \_\_\_\_\_MONTH \_\_\_\_\_YEAR; and
  - (k) any other particulars as provided under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 or specified under the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2020 or any notification issued under any other law for the time being in force or any instructions issued under the provisions of the Act: provided that right quality of ink is used for marking on packages.
- (3) The authorised packer shall after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988 mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided the same do not indicate quality other than that indicated by the Grade Designation Mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.
- 9. Special conditions of certificate of authorisation.-**(1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, every authorised packer shall comply the conditions specified under these rules.
- (2) The authorised packer shall either set up his own laboratory as per norms issued under rule 8 of the General Grading and Marking Rules, 1988 or have access to an approved State grading laboratory or cooperative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him under rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of poha.
  - (3) The premises of the authorised packer shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.
  - (4) The premises of the authorised packer shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from dampness, any kind of cracks and crevices, rodent and insect infestation.
  - (5) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the General Grading and Marking Rules, 1988 from time to time.

**SCHEDULE-I**

(See rule 4)

(Design of AGMARK Insignia)



Name of the Commodity-----

Grade-----

**SCHEDULE-II**

(See rules 5 and 6)

Grade designation and quality of Poha

1. Poha is produced from paddy (*Oryza sativa L.*) by parboiling or soaking in hot water followed by drying, roasting, flaking or flattening with rollers, dehussing and sieving to remove all fine powder.
2. Minimum requirements.-
  - (i) Poha shall -
    - (a) have pleasant taste, flavor and uniform color characteristic of the variety from which obtained;
    - (b) be unstained and prepared from wholesome, sound paddy grains;
    - (c) be free from extraneous matter such as stones, dirt, clay, paddy, paddy husk, rodent hair and excreta, filth, moulds, fungus, live and dead insects and insect fragments and the like;
    - (d) be free from any foreign taste, odour, obnoxious smell and evidence of fermentation; and
    - (e) be free from artificial coloring, polishing agents, artificial fragrances and any other chemicals.
  - (ii) For domestic trade, it shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, pesticide residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as provided under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and other regulations made for domestic trade under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).
  - (iii) For export trade, it shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission or importing countries requirement for exports.
3. Criteria for grade designation of Poha.-

**TABLE**

Grade designation	Limit of tolerance (percent by weight) (Maximum)						Total Protein (% by weight)
	Moisture	Total ash content (odb)	Ash insoluble in dilute HCl (odb)	Crude Fibre (odb)	Alcoholic acidity (as H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) with 90% alcohol	Sieve test through IS sieve 2mm (%pass through)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	11.0	1.25	0.15	0.5	0.15	0.50	8.0
Standard	12.0	1.50	0.25	1.5	0.25	1.50	7.0
General	13.0	2.00	0.40	2.0	0.30	2.50	6.0

Note: odb: on dry basis; H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: Sulphuric acid; HCl: Hydrochloric acid



**4. Other requirements.-**

- (i). The condition of poha shall be so as to enable it to-
- (a) withstand transport and handling; and
  - (b) arrive in satisfactory condition at the place of destination.
- (ii). Poha shall be stored in a cool and dry place and properly maintained in a clean and hygienic condition.
- (iii). Poha may be classified to be of following categories based on the thickness of flakes and time taken to reconstitute in water at 30°C and for reconstitution in water at 30°C, the ratio maintained shall be 1:4 poha:water provided that the reconstituted poha shall not be pasty and shall be discrete in shape.

**TABLE**

Category	Thickness of flakes (mm) (maximum)	Time taken to reconstitute in water at 30°C (minutes)
Fine	0.5	5
Medium	0.7	10
Coarse	1.0	20

The category may be marked on the packages.

[F. No. Q-11047/08/Poha/2020-Std.]

Dr. N. VIJAYA LAKSHMI, Jt. Secy. (Marketing)